मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153 दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजना अन्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल/06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 471] भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 अगस्त 2008—श्रावण 13, शक 1930

खेल एवं युवक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2008

क्र. एफ-1-5-02-नौ.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश खेल और युवा कल्याण तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा के सदस्यों की भरती तथा सेवा शर्तों से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश खेल और युवा कल्याण तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा भरती नियम, 2008 है.

(2) ये नियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(क) सेवा या पद के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, संचालक, खेल तथा युवक कल्याण, मध्यप्रदेश या कोई अन्य अधिकारी जिसे सरकार द्वारा नियुक्ति करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की जाएं;

(ख) "समिति" से अभिप्रेत है, अनुसूची-चार के कॉलम (5) में यथाविनिर्दिष्ट चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति;

(ग) "संचालक" से अभिप्रेत है, संचालक, खेल और युवा कल्याण, मध्यप्रदेश;

(घ) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, नियम 11 के अधीन संचालित प्रतियोगिता चयन/परीक्षा;

(ङ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(च) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(छ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5-पच्चीस-4-84, तारीख 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ज) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(झ) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य;

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश खेल और युवा कल्याण तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा;

(ट) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा कोई जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ठ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

3. **विस्तार तथा लागू होना.**—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम अनुसूची-एक में यथाउल्लिखित सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन.**—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—

(एक) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों;

(दो) वे व्यक्ति जो, इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों, और

(तीन) वे व्यक्ति जो, इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों.

5. **सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान आदि.**—सेवा का वर्गीकरण उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची-एक में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार होगी:

परन्तु सरकार, समय-समय पर सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

6. **भर्ती का तरीका.**—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात्:—

(क) सीधी भर्ती द्वारा विहित शैक्षणिक अर्हता में गुणागुण के आधार पर प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा न्यूनतम प्रतिशत के अभ्यार्थियों को बुलाने के लिये शर्त विहित की जाए,

(ख) अनुसूची-चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा, और

(ग) सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए गए उपबंधों के अनुसार अन्य पदों या सेवाओं से स्थानान्तरण/संविलियन/प्रतिनियुक्ति द्वारा.

(2) उपनियम (1) के खण्ड (क), (ख) तथा खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय अनुसूची-एक में यथाविनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या की, अनुसूची दो में दर्शाये गये प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी ऐसी विशेष रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकार के परामर्श से, अवधारित की जाएगी.

(4) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी, सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति के पश्चात् उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के तरीकों से भिन्न ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगी, जो वह इस निमित्त जारी किये गए आदेश द्वारा विहित करें.

7. **सेवा में नियुक्ति.**—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भरती के लिए पात्रता संबंधी शर्तें.**—प्रतियोगिता परीक्षा/चयन परीक्षा के लिए पात्र होने हेतु अभ्यार्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:—

(1) आयु.—(क) उसने प्रतियोगिता परीक्षा/चयन प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची तीन के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो, किन्तु उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो,

(ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यार्थी के लिए उच्चतर आयु-सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी,

(ग) उन अभ्यार्थियों के संबंध में भी जो, मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं या कर्मचारी रह चुके हैं उच्चतर आयु-सीमा नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी:—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए.

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी दूसरे पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए. यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों और परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी,

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी, जो छटनी किया गया सरकारी सेवक है उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष की सीमा तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्तें इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु-सीमा में 3 वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—पद "छटनी किए गए सरकारी सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य या किसी भी संवटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरन्तर रहा था तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या शासकीय सेवा में नियोजन के लिए अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया था.

(चार) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, वशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु-सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—पद "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की निरंतर कालावधि तक नियोजित रहा था तथा जिसकी

किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा, आवेदन देने की तारीख से, अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरुप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई थी अथवा जो अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया था:—

(1) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिसे सेवानिवृत्त रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो,

(2) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिसे दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और,—

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन की संबंधी शर्तें पूर्ण कर लेने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो,

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कार्मिक,

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित है) उनकी संविदा पूरी होने पर सेवान्मुक्त किये गये हो.

(5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो.

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया है,

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है,

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने के परिणामस्वरुप घाव हो जाने आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया हो—

(ङ) विधवा, निराश्रित एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु–सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(च) उन अभ्यर्थियों के लिये, जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीन कार्ड धारक है उच्चतर आयु–सीमा 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी,

(छ) आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन किसी दंपत्तियों के पुरस्कृत संवर्ण पति/पत्नी के मामले में उच्चतर आयु–सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ज) "विक्रम पुरस्कार" धारक खिलाड़ी अभ्यार्थियों के संबंध में भी सामान्य उच्चतर आयु–सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(झ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल/परिषद्/अकादिमों के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु–सीमा 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ञ) नगर सेना, होमगार्ड्स के स्वयं सेवी नगर सैनिकों एवं नान कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये,

(ट) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के नियम 4 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये सामान्य उच्चतर आयु–सीमा अधिकतम दस वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

स्पष्टीकरण.—(1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपर्युक्त खण्ड (घ) के उप खण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन के लिए पात्र पाए गए हों, यदि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् परीक्षा/चयन के पहले अथवा उसके पश्चात् सेवा से त्याग-पत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे. तथापि यदि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छटनी की जाती है, तो वे पात्र बने रहेंगे. किसी भी अन्य मामले में यह आयु-सीमा शिथिल नहीं की जाएगी.

(2) विभागीय अभ्यर्थियों के परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिए अपने नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करनी चाहिए.

2. शैक्षणिक अर्हताएं.—अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए, जो अनुसूची (तीन) में दर्शायी गई है परन्तु—

(क) समिति आपवादिक मामलों में, नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश से, किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगी, जो यद्यपि इन नियमों में विहित की गई अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं/विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों जो नियुक्ति प्राधिकारी के निदेशन में अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन के विचारण को न्यायोचित ठहराती हो,

(ख) ऐसे अभ्यर्थियों पर जो अन्यथा अर्ह हैं, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधि प्राप्त की हो, जो ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्हें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता नहीं दी है, प्राधिकारी के विवेकानुसार परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिए विचार किया जा सकेगा.

3. फीस.—अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा.

9. निरर्हता.—(1) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन प्राप्त करने के किसी भी प्रयास को आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा, साक्षात्कार या चयन में उसके उपस्थित होने के लिए निरर्हता माना जा सकेगा.

(2) ऐसे अभ्यार्थी किसी सेवा या पद के पात्र नहीं होगा जिसने विवाह के लिए विहित आयु प्राप्त होने के पूर्व विवाह कर लिया हो.

(3) कोई अभ्यार्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हो, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवास या दर के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई भी अभ्यार्थी, जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 का या उसके पश्चात् हो जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्य होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा.

10. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.—परीक्षा/चयन में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

11. (1) प्रतियोगिता परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती.—(1) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अन्तरालों से ली जाएगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर सरकार के परामर्श से अवधारित करे.

(2) परीक्षा/चयन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार संचालित की जायेगी.

(3) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21, सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार सीधी भरती के प्रक्रम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यार्थियों के लिये पद आरक्षित रखे जाएंगे.

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्त पदों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जावेगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उसका सापेक्षित स्थान (रैंक) कुछ भी क्यों न हो.

(5) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंधित अभ्यर्थियों को, जिन्हें समिति द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जावे, यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(6) ऐसे मामलों में जहां सीधी भरती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव एक आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाए कि आरक्षित पदों पर भरती के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे वहां नियुक्ति प्राधिकारी सरकार से परामर्श के पश्चात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अनुभव की ऐसी शर्तों को शिथिल कर सकेगा.

(7) सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार निशक्त अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित रखे जावेंगे.

(8) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित रखे जावेंगे.

(9) यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी, उनके लिये आरक्षित समस्त रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो सके तो शेष रिक्तियां किसी अन्य प्रवर्ग से नहीं भरी जावेंगी और रिक्तियां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये अगले चयन के लिये आरक्षित रखी जावेंगी.

12. चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची.—(1) चयन समिति उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्ह हो जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी अवधारित करें तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची जो यद्यपि उस स्तर में अर्हित नहीं है किन्तु जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है, योग्यता के क्रम में तैयार करेगी और सरकार को अग्रेषित करेंगी. यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जावेगी.

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिसमें कि उनके नाम सूची में आये हों.

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाय कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हैं.

(4) चयन सूची समिति द्वारा उसके जारी करने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक विधिमान्य रहेगी.

(5) नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन पूर्ण होने के पश्चात् ही जारी होगा.

13. सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी के पद पर लिपिक वर्गीय संवर्ग से चयन.—(1) चयन समिति द्वारा सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से लिपिक वर्गीय संवर्ग से चयन कर जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी के 20 प्रतिशत पद अनुसूची 5 में अधिकथित रीति में संचालनालय/क्षेत्रीय खेलकूद कार्यालयों साथ-साथ ही जिला कार्यालयों में पदस्थ लिपिक वर्गीय कर्मचारीवृन्द में से भरे जाएंगे.

(2) उपलब्ध रिक्तियां नियम 11 के उपनियम (3) में अन्तिर्विष्ट उपबंधों के अनुसार उन अभ्यर्थियों के लिये जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य हैं, के लिए आरक्षित रखे जाएंगे.

(3) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, पदोन्नति पर विचार उसी क्रम में किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हैं चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक स्थान (रैंक) कुछ भी क्यों न हो.

(4) चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची, चयन समिति अनुसूची-पांच में दर्शाये गये अभ्यर्थियों के गुणागुण (मैरिट) के क्रम से बनाई गई एक सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को, जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुए सेवा नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है, सम्मिलित किया जायेगा. यह सूची तैयार किये जाने की तारीख से प्रभावी होगी.

(5) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिसमें कि उनके नाम सूची में आये हैं.

(6) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकारी तब तक प्रदत्त होता है जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाय कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है.

14. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.—(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिए प्रारंभिक चयन करने हेतु अनुसूची-चार में यथा उल्लिखित सदस्यों से मिलकर एक समिति गठित की जायेगी. परन्तु यदि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में संबंध विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को छोड़कर नामनिर्दिष्ट किये गये अन्य सदस्यों में से कोई सदस्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक सदस्य पदोन्नति/छानबीन समिति में सम्मिलित किया जावेगा और पदोन्नति/छानबीन समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जाएगी.

(2) अनुसूची-चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की उसके कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति हेतु अभ्यर्थी की पात्रता चयन प्रक्रिया तथा पदोन्नति द्वारा नियुक्ति मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 में यथाविनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार होगी.

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन.—प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी उसके द्वारा जारी किये जाने वाले पदोन्नति आदेश पर इस आशय का पृष्ठांकन करेगा कि उसने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21, सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों और राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के एवं नियमों के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जारी किये गये अनुदेशों का पालन किया है और उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

(4) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों से होगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी निर्देश दे, किन्तु साधारणतः एक वर्ष से अधिक का अंतराल नहीं होगा.

15. पदोन्नति/स्थानान्तरण के लिए पात्रता की शर्तें.—(1) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन उस पर जिससे पदोन्नति की जाना है, या जिन्हें सरकार द्वारा उनके समतुल्य घोषित किये गये किसी अन्य पद या पदों पर उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) पूर्ण कर ली हो. जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट है और जो उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण के क्षेत्र में हों.

स्पष्टीकरण.—पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति-सुसंगत वर्ष की जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति आहूत की जाती है, एक जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान [illegible] की तारीख से गणना नहीं की जाएगी.

(2) पदोन्नति हेतु विचारण क्षेत्र के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंध लागू होंगे.

(3) सहायक ग्रेड 3 के पद के 25 प्रतिशत पद उन चतुर्थ वर्ग सेवा के सदस्यों में से भरे जावेंगे जिन्होंने मध्यप्रदेश में स्थित विद्यालय से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा गुणागुण-सह-ज्येष्ठता के आधार पर कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो.

16. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.—(1) विभागीय पदोन्नति समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो उपरोक्त नियम 15 में विहित शर्तों को पूरा करते हों, और जो समिति द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझे गये हों. यह सूची चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी. उक्त सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के पूर्वोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनवेक्षित रिक्तियों को भरने के लिये 25 प्रतिशत व्यक्तियों की एक आरक्षित सूची भी प्रस्तावित की जाएगी.

(2) चयन सूची तैयार करने के लिये मानदण्ड मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता (सीनियरिटी सब्जेक्ट टू फिटनेस) होगा.

(3) प्रत्येक सूची तैयार करते समय चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में ज्येष्ठता के मानदण्ड के क्रम में रखे जाएंगे.

स्पष्टीकरण.—कोई व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के आधार पर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया था, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं करेगा.

(4) इस प्रकार तैयार की गई चयन सूची का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा.

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित हो कि सेवा के किसी सदस्य को अधिक्रमित किया जाए, तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी.

17. चयन सूची.—(1) नियुक्ति अधिकारी, समिति से प्राप्त अन्य दस्तावेजों के साथ, समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और जबतक वह कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे, सूची को अनुमोदित करेगा.

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त सूची में कोई, परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना समिति को देगा तथा समिति की टिप्पणियों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् सूची को ऐसे उपांतरणों के साथ, यदि कोई हों, अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा, जो उसकी राय में न्यायसंगत हों.

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से यथा अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में उल्लिखित किए गए पदों से अनुसूची-चार के कॉलम (3) में उल्लिखित किए गए पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी.

(4) चयन सूची, जब तक कि नियम 16 के उपनियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं किया जाए, साधारणतः एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगा, किन्तु उसकी विधिमान्यता उसे तैयार किये जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में कोई गंभीर चूक होने की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी की प्रेरणा पर चयन सूची का विशेष पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और समिति, यदि उचित समझे, ऐसे व्यक्तियों को नाम चयन सूची से हटा सकेगी.

18. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.—(1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की सेवा के संवर्ग (काडर) के पदों पर नियुक्ति उसी क्रम से की जावेगी, जिस क्रम में ऐसे कर्मचारियों के नाम चयन सूची में आये हों.

19. परिवीक्षा.—सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा सेवा में नियुक्ति किये गये प्रत्येक व्यक्ति को 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा.

20. निर्वचन.—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चिय अंतिम होगा.

21. शिथिलीकरण.—इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं. राज्यपाल की, ऐसी रीति में जो उसे न्याय संगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है:—

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति में नहीं निपटाया जाएगा, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उस व्यक्ति के लिए कम अनुकूल हो.

22. व्यावृत्ति.—इन नियमों में की कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा इन संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये, उपबंध किये जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

23. निरसन.—इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त में, समस्त नियम, इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किये गये किसी आदेश या की गई किसी कार्यवाही के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन किया गया है या की गई है.

अनुसूची-एक

(नियम 5 देखिये)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या			वर्गीकरण	वेतनमान	टिप्पणियां
		स्थायी	अस्थायी	कुल			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	संभागीय खेल एवं युवक कल्याण अधिकारी.	-	7	7	अराजपत्रित (कार्यपालक)	5500—175—9000	
2.	प्रशिक्षक	–	8	8	—तदैव—	4500—125—7000	
3.	जिला खेल एवं युवक कल्याण अधिकारी.	20	18	38	—तदैव—	5000—150—8000	
4.	वार्डन	–	1	1	—तदैव—	4500—125—7000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.	वाहन चालक (ड्राईवर)	–	2	2	अराजपत्रित (कार्यपालक)	3050—75—3950—80—4590	
6.	अधीक्षक	–	1	1	अराजपत्रित (लिपिकीय)	5500—175—9000	
7.	शीघ्रलेखक	1	–	1	—तदैव—	4500—125—7000	
8.	आडीटर (अंकेक्षक)	8	–	8	—तदैव—	4500—125—7000 4000—100—6000	भविष्य में की जाने वाली पदोन्नति.
9.	लेखापाल (लेखा प्रशिक्षित)	1	4	5	—तदैव—	4000—100—6000	
10.	सहायक ग्रेड-दो/भण्डारी	2	13	15	—तदैव—	4000—100—6000	
11.	सहायक ग्रेड-तीन	42	8	50	—तदैव—	3050—75—3950—80—4590.	

अनुसूची-दो

(नियम 6 देखियें)

विभाग का नाम	पद तथा सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशतता सीधी भर्ती द्वारा [देखिए नियम-6 (क)]	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [देखिए नियम 6 (ख)]	अन्य सेवाओं से व्यक्ति के स्थानान्तरण द्वारा [देखिए नियम 6 (ग)]	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
खेल और युवक कल्याण विभाग.	अराजपत्रित कार्यपालक (1) संभागीय खेल और युवक कल्याण अधिकारी	7	–	100 प्रतिशत		
	(2) प्रशिक्षक	8	100 प्रतिशत			
	(3) जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी	38	80 प्रतिशत	20 प्रतिशत		20 प्रतिशत पद लिपिकवर्गीय कर्मचारियों से भरे जाएंगे जो अनुसूची तीन कालम 5 में अधिकथित अर्हता पूर्ण करते हों. उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में लिपिकवर्गीय कर्मचारियों में से सीधी भर्ती से भरी जाएगी.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	(4) वार्डन	?	100 प्रतिशत	–	–	
	(5) वाहन चालक	2	100 प्रतिशत	–		
	अराजपत्रित लिपिकवर्गीय—					
	(1) अधीक्षक	1	–	100 प्रतिशत		
	(2) शीघ्रलेखक	1	100 प्रतिशत	–		लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार द्वारा चयन.
	(3) अंकेक्षक	8	–	100 प्रतिशत		
	(4) लेखापाल	5	–	100 प्रतिशत		
	(5) सहायक ग्रेड–दो/भण्डारी	15	–	100 प्रतिशत		
	(6) सहा. ग्रेड–3	50	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी		25 प्रतिशत ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से भरे जायेंगे जो 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हो तथा पुरानी हायर सेकेण्ड्री उत्तीर्ण अथवा 10+2 से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो.

टीप.—वाहन चालकों के पदों को चयन द्वारा भरा जायेगा तथा सीधी भर्ती के अन्य पदों को प्रतियोगिता परीक्षा/चयन द्वारा भरा जाएगा.

अनुसूची–तीन
(नियम 8 देखिये)

सीधी भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हता

विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतर आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खेल और युवक कल्याण विभाग.	अराजपत्रित (कार्यपालक)			
	(1) प्रशिक्षक	18	35	1. बी.पी.ई. या बी.पी.एड./स्नातक 2. एन.आई.एस. डिप्लोमा प्राप्त
	(2) जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी.	18	35	1. स्नातक या बी.पी.एड. 2. एम.पी.एड. 3. राष्ट्रीय खेल एवं अधिकृत राष्ट्रीय चैम्पियनशिप (सीनियर वर्ग की अधिकृत राष्ट्रीय चैम्पियनशिप)
	(3) वार्डन	18	35	1. स्नातक या बी.पी.एड. 2. हॉकी का राष्ट्रीय खिलाड़ी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(4) वाहन चालक (ड्राइवर)	18	35	1. मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण 2. भारी तथा हल्के वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति रखता हो.
	अराजपत्रित लिपिकवर्गीय—			
	(1) शीघ्रलेखक	18	35	1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म. प्र. या किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेण्ड्री पुरानी या हाईस्कूल (10+2 शिक्षा पद्धति से) उत्तीर्ण. 2. मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् या किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से हिन्दी आशुलिपिक तथा मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण हो.
	(2) सहायक ग्रेड-तीन	18	35	1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म. प्र. या किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेण्ड्री (पुरानी) या हाईस्कूल (10+2 शिक्षा पद्धति से) उत्तीर्ण. 2. मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् या किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा. 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्ष का डिप्लोमा.

अनुसूची-चार

(नियम 14 देखिये)

पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद

विभाग का नाम (1)	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जायेगी (2)	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जायेगी (3)	पदोन्नति के लिए अनुभव (4)	विभागीय पदोन्नति समिति सदस्यों के नाम (नियम 13 देखिए) (5)
खेल एवं युवक कल्याण विभाग.	(1) अराजपत्रित कार्यपालक			
	जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी.	संभागीय खेल और युवा कल्याण अधिकारी	5 वर्ष	1. उप संचालक — अध्यक्ष 2. क्षेत्रीय खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी — सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी — सदस्य 4. अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. का प्रतिनिधि के रूप में कोई अधिकारी — सदस्य
	(2) अराजपत्रित लिपिक वर्गीय			
	अंकेक्षक (आडीटर)	अधीक्षक	5 वर्ष	1. उप संचालक — अध्यक्ष 2. युवक कल्याण अधिकारी/ क्षेत्रीय खेल और युवा कल्याण अधिकारी. — सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				3. प्रशासनिक अधिकारी — सदस्य 4. अ.जा./अ.ज.जा./ अ.पि.व. के प्रतिनिधि के रूप में कोई अधिकारी — सदस्य
सहायक ग्रेड-2/भण्डारी/ लेखापाल (लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण).	अंकेक्षक	5 वर्ष		1. उप संचालक — अध्यक्ष 2. युवक कल्याण अधिकारी/ क्षेत्रीय खेल और युवा कल्याण अधिकारी. — सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी — सदस्य 4. अ.जा./अ.ज.जा./ अ.पि.व. के प्रतिनिधि के रूप में कोई अधिकारी. — सदस्य
सहायक ग्रेड-3	सहा. ग्रेड 2/भण्डारी	5 वर्ष		1. उप संचालक — अध्यक्ष 2. युवक कल्याण अधिकारी/ क्षेत्रीय खेल और युवा कल्याण अधिकारी. — सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी — सदस्य 4. अ.जा./अ.ज.जा./ अ.पि.व. के प्रतिनिधि के रूप में कोई अधिकारी. — सदस्य
सहायक ग्रेड-3 (लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण).	लेखापाल			

अनुसूची-पांच

(जिला खेल और युवक कल्याण अधिकारी के पद पर सीमित लिपिकवर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए स्कीम)

1. शीर्ष.—इस स्कीम का संक्षिप्त नाम जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी के लिये प्रतियोगी परीक्षा/चयन के माध्यम से संचालनालय खेल और युवा कल्याण क्षेत्रीय तथा जिला कार्यालय में भर्ती के लिए स्कीम है.

2. पात्रता.—(क) लिपिकवर्गीय कर्मचारियों के वे सदस्य भाग ले सकेंगे जो निम्नलिखित अर्हता रखते हों:—

1. लिपिकवर्गीय काडर में संचालनालय क्षेत्रीय तथा जिला अधिकारी कार्यालय का 5 वर्ष की सेवा का अनुभव हो.
2. जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी की शैक्षणिक अर्हता पूरी करता हो जैसा कि अनुसूची तीन के कालम (5) में अधिकथित है तथा स्नातक या बी. पी. एड. तथा विश्वविद्यालय स्तर पर किसी खेल में भाग लिया हो.
3. जब चयन किया गया है, पहली जनवरी को उसकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के मामले में अधिकतम आयु सीमा शिथिलनीय होगी.

3. चयन- नियुक्ति के लिए चयन निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा:—

1. इस स्कीम के अधीन संचालित परीक्षा में अभ्यार्थियों द्वारा अभि प्राप्त अंक, और
2. अभ्यार्थी के विगत पांच वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के मूल्यांकन के पश्चात्.

4. परीक्षा :—

(1) लिखित परीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित की गई तारीखों तथा स्थानों पर प्रति वर्ष संचालित की जाएगी.

(2) प्रत्येक 50 अंक के दो प्रश्न-पत्र होंगे. प्रत्येक प्रश्न-पत्र के लिए समय 2.30 घंटे की लिखित परीक्षा की अवधि होगी. केवल ऐसा अभ्यार्थी उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा जिसने प्रत्येक प्रश्न-पत्र में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों.

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित करते हुए प्रश्न-पत्र तैयार किया जाएंगे:—

प्रथम प्रश्न-पत्र

1. सामान्य ज्ञान, 2. सामान्य हिन्दी तथा 3. प्रारंभिक गणित

द्वितीय प्रश्न-पत्र

1. सरकारी सेवा के सामान्य नियम.
2. विभाग में प्रचलित शब्दों का ज्ञान तथा.
3. विभागीय नियमावली (मैन्युअल), नियमों, उप नियमों आदि.

(4) इन नियमों के साथ प्रश्न-पत्रों का पाठ्यक्रम संलग्न है.

(5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा को अधिसूचित तारीख से एक माह पूर्व आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाएंगे. परीक्षा का समय, तारीख तथा स्थान की सूचना उन्हीं आवेदकों को दी जाएगी जो उपस्थित होने के पात्र पाये जाए.

(6) इस संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारियों से उत्तर पत्रों का मूल्यांकन कराया जावेगा.

(7) उन अभ्यार्थियों की सूची तैयार की जावेगी जिन्होंने प्रत्येक प्रश्न-पत्र में अलग-अलग 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों.

5. (1) उन अभ्यार्थियों की, जिनके नाम स्कीम के उपरोक्त पैरा 4(7) के अधीन तैयार की गई चयन सूची में सम्मिलित किये गये हैं वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (ए. सी. आर.) का मूल्यांकन इन नियमों के अधीन गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किया जायेगा.

(2) प्रत्येक अभ्यार्थी को प्रत्येक वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के लिए निम्नानुसार 20 अंक दिए जायेंगे:—

उत्कृष्ट/बहुत अच्छा	--	20
अच्छा	—	15
सामान्य	—	10

(3) लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों की संख्या और प्रत्येक अभ्यार्थी की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के मूल्यांकन के पश्चात् प्राप्त कुल अंकों को एक पन्ने पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा जोड़ा जाएगा.

(4) अंतिम चयन सूची परीक्षा तथा वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों से प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी. पदोन्नतियां जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी के पद पर 20 प्रतिशत आरक्षण के विरुद्ध अंतिम सूची में दर्शाए गए नामों में से क्रमानुसार की जाएगी.

(5) जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी के पद पर लिपिकवर्गीय सेवा से इस प्रकार पदोन्नत कर्मचारियों में वरिष्ठता वही होगी जैसा कि अन्तिम चयन सूची में दर्शाई गई है.

उपाबंध प्रश्न-पत्रों का वर्णन (विवरण)

प्रश्न-पत्र—एक

(1) सामान्य ज्ञान (15 अंक)

सामाजिक घटनाओं, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल तथा इससे संबंधित प्रसंग, मध्यप्रदेश के बारे में सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न (तीन प्रश्न).

(2) सामान्य हिन्दी (15 अंक)

दी गई संक्षेपिका के आधार पर शब्दों के अर्थ में भिन्नता तथा किसी विशिष्ट विषयों पर निबंध (अधिकतम 150 शब्दों से अधिक नहीं हो).

(3) प्रारंभिक गणित (20 अंक)

गुणा, भाग, प्रतिशत, लाभ-हानि, औसत, वर्ग, आयतन (मैट्रिक प्रणाली) दशमलव प्रणाली, परिणाम और अन्य.

प्रश्न-पत्र—दो

(1) शासकीय सेवा संबंधी ज्ञान (20 अंक)

वेतन, भत्ते, अवकाश, सामान्य भविष्य निधि, भर्ती नियमों का सामान्य ज्ञान और आचरण नियमों का प्रारंभिक ज्ञान.

(2) विभागों के प्रचलित शब्दार्थों का ज्ञान (15 अंक)

विभागीय नियमावली, नियम, उप नियम आदि.

टिप्पणी.—विभाग प्रश्न-पत्र वस्तुनिष्ठ प्रणाली के आधार पर तैय्यर कर सकते हैं, इसकी जानकारी विज्ञापन में दी जा सकेगी. विवरणात्मक प्रकार के प्रश्न उपरोक्तानुसार है. विभाग यथा वाछंानुसार तथा अपनी जानकारी की आवश्यकतानुसार उसमें परिवर्तन कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद प्रधान, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2008

क्र. एफ. 1-5-02 नौ.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद प्रधान, उपसचिव.

Bhopal the 4th August 2008

No. F-1-5-02-IX.— In exercise of the powers conferred by the provisio to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules relating to the recruitment and conditions of service of the members of the Madhya Pradesh Sports and Youth Welfare Class-III (Non-Gazetted) Service, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Sports and Youth Welfare Class-III (Non-Gazetted) Service, Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come in to force with effect from the date of their publication in the "Madhya Pradesh Gazette.".

2. **Definations.**—In these rules, unless the context otherwise, requires :—

(a) "Appointing Authority" in respect of the service or a post means the Director, Sports and Youth Welfare, Madhya Pradesh or any other officer to whom powers of appointment have been delegated by the Government;

(b) "Committee" means the selection Committee or departmental promotion Committee. Committee constituted as specified in column (5) of Schedule IV;

(c) "Director" means the Director of Sports and Youth Welfare, Madhya Pradesh;

(d) Examination means. Competitive selection examination under rule - 11;

(e) " Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;

(f) Government means the Government of Madhya Pradesh;

(g) "Other Backward Classes" means the other backward classes of citizens as specified by the State Government *vide* Notification No. F-8-5-XXXV-4-84, dated 26th December, 1984 as amended from time to time.

(h) "Schedule" means the schedule appended to these rules;

(i) "State" means the State of Madhya Pradesh;

(j) "Service" means the Madhya Pradesh Sports and Youth Welfare Class-III (Non-Gazetted) service;

(k) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India ;

(l) "Scheduled Tribes" means any tribe, or tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India.

3. **Scope and Application.**— Without prejudice to the generality of the provision contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service as mentioned in Schedule-I.

4. **Constitution of the Service.**—The Service shall consists of the following persons, namely :—

(i) Persons, who at the time of commencement of these rules are holding substantively, or in an officiating capacity the posts specified in the Schedule-I ;

(ii) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules ; and

(iii) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Service Classification, Scale of pay etc.**—The classification of the service, the scale of pay attached there to and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provision contained in the Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment**.—(1) Recruitment to the service after commencement of these rules shall be made by the following methods, namely :—

(a) By direct recruitment through competitive examination/on merit basis in prescribed educational qualification. The condition may be prescribed for lowest percentage to call for applicants.

(b) By promotion of members of the service as mentioned in column (2) of Schedule IV ;

(c) By transfer / absorption / deputation from other posts or services as per provisions made by the Government from time to time.

(2) The number of persons recruited under clause (a), (b) and clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) if in the opinion of the Appointing Authority the exigencies of the service so require, Appointing Authority may after prior concurrence of the Government in the General Administration Department adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

7. **Appointment to the Service** .— All appointments to the service after commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in Rule 6.

8. **Conditions of eligibility of direct recruitment.**— In order to be eligible for competitive examination rule selecting a candidate must satisfy the following conditions, namely: —

(1) **Age.**—(a) He must have attained the age specified in column (3) of Schedule-III but not have attained the age specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January next following the date of commencement of the competitive examination/selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years if a candidate belongs to Schedule Caste, Schedule Tribes and Other Backward Classes.

(c) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Madhya pradesh Goverment to the extent and subject to the conditions specified below:—

(i) A candidate, who is a permanent Government servant should not be more than 38 years of age.

(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees. work charged employees and employees working in the project Implementing Committees.

(iii) A candidate, who is a retrenched Government servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.—The term "reternched Government Servant" denotes a person. who was in temporary Government Service of this State or of any of the constitutent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the Employment Exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

(iv) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.—The term "Ex-Serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of not the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment and more than three years before the date of registration at any employment in exchange or application made otherwise for employment in Government service :—

(1) Ex-Serviceman who have been retrenched one mustering out concession.

(2) Ex-Serviceman enrolled for the second time and discharged on—

(a) completion of short term engagement,

(b) fulfilling the conditions of enrolment.

(3) Ex-Personnel of Madras Civil Unit.

(4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service regular commissioned officers).

(5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies.

(6) Ex-Serviceman invalided out of service.

(7) Ex-Serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers.

(8) Ex-Serviceman who are medically boarded out on account of gun-shot wounds etc.

(e) The general upper age limit shall be relaxable up to 5 years in respect of widow, destitutes or divorsed women candidates;

(f) The upper age limit shall be relaxable up to maximum of 2 years for more those candidates who are holding green card under the Family Welfare Programme.

(g) The upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the inter castes marriage incentive programme of the Tribal, Scheduled Castes and other Backward Classes Welfare Department.

(h) The general age limit shall be relaxable up to five years in respect of the "Vikram Award" holder, candidates;

(i) The upper age limit shall be relaxable up to maximum of 38 years of age in respect of candidates who are employees of Madhya Pradesh State Corporation / Board / Parishad / Academics.

(j) The general upper age limit shall be relaxed in case of Voluntary Home Guards and non-commissioned officers of Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

(k) The Upper age limit shall be relaxable up to a maximum of ten years to a women candidates in accordance with the provisions of Rule 4 of Madhya Pradesh Civil Services (Special provision for appointment of women) Rules, 1997.

Explanation.— (1) Candidates, who are found eligible for selection under the age concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (d) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application they resign from service either before or after the examination/selection. They will however continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application. In no other case these age limit be relaxed

(2) Departmental Candidates must obtain prior permission of their Appointing Authority to appear for examination/selection.

(2) **Educational Qualification** .—The candidates must posses the educational qualification prescribed for the service as shown in Schedule-III. Provided that :—

(a) In exceptional cases the Committee may on the recommendation of the Appointing Authority, treat as qualified any candidate who though not possessing any of the qualifications prescribed in this rules but has passed examinations conducted by other institutions/universities by such a standard, for which the Appointing Authority, considered for appearing in the examination/ selection at the direction of the Appointing Authority.

(b) Candidates, who are otherwise qualified but have taken degree from foreign Universities, being Universities not specifically recognized by the Government may also be considered for appearing in the examination/selections at the discreation of the appointing authority

(3) **Fees.**— The candidate must pay the fee prescribed by the Appointing Authority.

9. **Disqualification.**—(1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission/Appointing Authority to disqualify him for appearing in the examination, interview or selection.

(2) A candidate shall not be eligible for any service or post who has married before attaining the age prescribed for marriage:

(3) A candidate shall not be eligible for any service or post who has more than two living children one of whom is born on or after the 26th of January, 2001 :

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a Service or post, who has already one living child and next delivery takes place on or after 26th day of January, 2001, in which two or more than two children are born.

10. **Appointing Authority's decision about the eligibility of candidate shall be final.**— The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate eligible for the examination/selection shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by Appointing Authority shall not be allowed to appear in the examination/selection .

11. (1) **Direct Recruitment by Competitive Examination/Selection** .—(1) Competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may in consultation with the govt. from time to time, determine.

(2) The examination/selection shall be conducted by the Appointing Authority in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this behalf.

(3) There shall be reserved post for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes the stage of direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyaon, Anusuchit Jan Jatiyaon Aur Anya Pichhda Vargon ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and or per orders issue by the Government, time to time.

(4) In filling the vacancies so reserved candidates who are members of the Schedule Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in Rule 12 irrespective of this relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes considered by the committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may.

(6) In such case, where requisite minimum experience has been prescribed as an essential condition for the post to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of appointing authority that sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes may not be available, the appointing authority may relax such condition of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes after consultation with the Government.

(7) There shall be reserved post for disabled candidates in accordance with the directions of the General Administration Department of the Government.

(8) There shall be reserved post for women candidates in accordance with the provisions of Madhya Pradesh Civil Services (Special Provisions for appointment of woman) Rules, 1997.

(9) If sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall not be filled from other candidates and vacancies shall be kept reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes for next selection.

12. List of candidates recommended by the selection committee.—(1) The shall selection committee shall prepare cant format list arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as the appointing authority may determine and the list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by that standard, but are declared by the Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Services (General conditions of service) Rules, 1961, the candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidates name in the list confers no right to appointment unless the appointing authority is satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointments to the service.

(4) The selection list shall be valid for a period of one year from the date of issue by the committee.

(5) Appointment order will be issued only after character verification is completed.

13. **Selection from Ministerial for Cadre the post of Distt. Sports and Youth Welfare Officer through limited competitive examination**.—(1) 20% posts of Distt. Sports and Youth Welfare Officers shall be filled by selection from ministerial cadre through limited competitive examination by the selection committee from the ministerial staff posted in Directorate/Regional Sports Offices as well as in District Offices in a manner laid down in Schedule-V.

(2) The available vacancies shall be reserved for candidates who are members of Schedule Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the provisions contained in sub-rule (2) of Rule 11.

(3) In filling the vacancies so reserved candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for promotion in order in which their names appear in the list referred to in Rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(4) List of candidates recommended by the Selection Committee. The Selection Committee shall forward to the appointing authority a list arranged in order of merit of candidates as given in Schedule-V and candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes declared by the selection committee to be suitable for appointment to service with due regard to the maintenance of efficiency of administration will be included in the list. The list will be effective from the date of its preparation.

(5) Subject to the provisions of these rules candidates will be considered for the appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(6) The inclusion of candidates name in the list confers no right to appointment unless the appointing authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respect for appointment in the service.

14. **Appointment by promotion**.—(1) There shall be constituted a committee consisting of the members, as mentioned in Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that is the nominated members other than the member presiding the departmental promotion committee/ screening committee in respect of the post to be filled up by promotion do not represent the category of Schedule Castes or Scheduled Tribes, then one member belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes category of the same status shall be included in the promotion/screening committee and the number of members of promotion/ screening committee shall be extended to that limit.

(2) For the promotion of the members of service specified in column (2) of Schedule-IV to the post as specified in column (4) there of, the eligibility of candidate, selection process and appointment by promotion shall be in accordance with the provisions as specified in the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002.

(3) **Certification by the appointing authority.**— Every appointing authority shall endorse on the promotion order to be issued by him, a certificate to the effect that he has complied with the provisions of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhada Vargon ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Madhya Pradesh Public Services (Promotion) Rules, 2002 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Act and Rules by the State Government and that he has full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Act.

(4) The committee shall meet at such intervals as the appointing authority may direct but ordinarily not exceeding one year.

15. **Conditions of eligibility for promotions/transfers.**—(1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the committee shall consider the cases of all persons who as the first day of January of the year, had completed such numbers of the years of service (whether officiating or substantive) on the posts from which promotion is to be made or any other part or posts declared equivalent thereto by the Government as specified in column (2) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provision of sub-rule (2).

Explanation Manner of computation for eligibility for promotion

Period of qualifying service on 1st January of the relevant year in which Departmental promotion committee is convened shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeder cadre/part of service/ pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of service/pay scale of the post.

(2) For the zone of consideration for promotion, the provisions of Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002, shall apply.

(3) Twenty five percent of the post of Assistant Grade-III shall be filled in from amongst the members of Class IV service who have passed 10+2 examination from the School situated in Madhya Pradesh and have put in atleast five years service on the basis of seniority tempered by merit.

16. **Preparation of list of suitable candidates** .— (1) The Departmental Promotions Committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in Rule 15 above and as are held by the committee to be suitable for promotion to the service. In accordance with the provisions of Madhya Pradesh Public Services (Promotion) Rules, 2002. This list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list of 25% of the number of persons included in the said select list shall be proposed in order to fulfil unforseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period.

(2) For *criteria* for preparation of select list shall be seniority to subject to fitness as per provisions of Madhya Pradesh Public Services (Promotion) Rules, 2002.

(3) The names of persons included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or posts as specified in column (2) of Schedule-IV at the time of preparation of each select list.

Explanation.— A person whose name is included in the select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those person considered in a subsequent selection merely be the fact of his earlier selection.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision, it is proposed to supersede any member of the service the committee shall record its reasons for the proposed supersession.

17. **Select List**.— (1) The Appointing Authority shall consider the list prepared by the committee along with other documents received from the committee and unless it consider any change necessary, approve the list.

(2) If the appointing authority considers it necessary to make any change in the list received from the committee, he shall inform the committee of the changes proposed and after taking in to account the comments, if any, of the committee may approved the list finally with such modification if any, an may in the opinion be just and proper.

(3) The list as finally as approved by the appointing authority shall be the select list for promotion of the members of service from the posts mentioned in column (2) of Schedule-IV to the posts mentioned in column (3) of the said Schedule.

(4) The select list shall ordinarily be in force for a period of one year until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of Rule-16, but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation:

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Appointing Authority and the committee may, if it deems fit, remove the name of such person from the select list.

18. **Appointment to the service from the Select List**.—Appointment of the employees included in the select list to the post borne on the cadre of the service shall follow the order in which the names of such employees appear in the select list.

19. **Probation** .—Every person appointed to the service by direct recruitment or by promotion shall be appointed on probation for a period of two years.

20. **Interpretation** .— If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to Government whose decision there on shall be final.

21. **Relaxation** .— Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom, these rules apply, in such manner as may appear to him to be just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than this provided in these rules.

22. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation and other conditions required to be provided for the Schedule Castes, Scheduled Tribes and Other Backwards Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

23. **Repeal.**— All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

SCHEDULE-I
(See Rule-5)

Classification of Service, Pay Scale and Number of posts included in the service

S. No.	Name of the posts included in the service	Number of posts			Classification	Scale of posts	Remark
		Perm-anent	Temp-orary	Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Divisional Sports and Youth Welfare Officer	-	7	7	Non-Gazetted (Executive)	5500-175-9000	
2.	Coach	-	8	8	do	4500-125-7000	
3.	District Sports and Youth Welfare Officer	20	18	38	do	5000-150-8000	
4.	Warden.	-	1	1	do	4500-125-7000	
5.	Driver	-	2	2	do	3050-75-3950-80-4590	
6.	Superintendent	-	1	1	Non- Gazetted (Ministerial)	5500-175-9000	
7.	Stenographer	1	-	1	do	4500-125-7000	
8.	Auditor	8	-	8	do	4500-125-7000 4000-100-6000	Promotion should be done in future
9.	Accountant (Accounts trained)	1	4	5	do	4000-100-6000	
10.	Assistant Grade-II/ Storekeeper	2	13	15	do	4000-100-6000	
11.	Assistant Grade-III	42	8	50	do	3050-75-3950-80-4590	

SCHEDULE-II

(See Rule-6)

Method of recruitment

Name of Depart-ment	Name of the post included in the Service	Total Number of duty posts	Percentage of the number of duty posts to be filled in			Remark
			By direct recruitment [See Rule 6 (a)]	By promotion of substantive members of the service vide Rule 6(b)	By transfer of persons from other service vide Rule 6 (c)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sports and Youth Welfare	**Nan-Gazetted Executive—**					
	(1) Divisional Sports and Youth Welfare Officer.	07	-	100%	-	
	(2) Coach	08	100%	-	-	
	(3) District Sports and Youth Welfare Officer	38	80%	20%		This 20% Posts shall be filled up from ministerial employees who fulfill the qualification as laid down in column 5 of Schedule III. The posts shall be filled by direct recruitment in case of non availability of suitable candidates among ministerial employees.
	(4) Warden	01	100%	-	-	
	(5) Driver	02	100%	-	-	
	Non-Gazetted Ministerial -					
	1. Superintendent	01	-	100%	-	
	2. Stenographer	01	100%	-	-	Selection by written test and interview
	3. Auditor	08	-	100%	-	
	4. Accountant	05	-	100%	-	
	5. Assistant Grade-II Storekeeper	15	-	100%	-	
	6. Assistant Grade-III	50	75%	25% 4th Class	-	25% posts shall be fill up from class IV employees who have completed 5 years service have passed old Higher Secondary or 10+2 passed High School Examination.

Note.—The posts of Drivers will be fill up by selection and other posts of direct Recruitment will be fill up by competitive examination.

SCHEDULE-III

(See Rule 8)

Age and qualification of persons for direct recruitment

Name of Department (1.)	Name of Service (2.)	Minimum Age Limit (3.)	Upper Age Limit (4.)	Prescribed Educational Qualifications (5)
Sports & Youth Welfare Deptt.	**Non-Gazetted (Executive)**			
	1. Coach	18	35	1. B.P.E. or B.P.Ed./Graduate 2. N.I.S. Diploma.
	2. Distt. Sports & Youth Welfare Officer	18	35	1. Graduate or B.P.Ed. 2. M.P.Ed. 3. National Game and recognized National Championship (recognized National Championship for senior group).
	3. Warden	18	35	1. Graduate or B.P.Ed. 2. National Player of Hockey.
	4. Driver	18	35	1. Passed Middle School Examination 2. Having licence of driving of heavy and light vehicles.
	Non-Gazetted (Ministerial)			
	1. Stenographer	18	35	1. Passed old Higher Secondary or High School Examination(10+2 Education system) from Board of Secondary Education, MP or any other recognition Board. 2. Passed Hindi Shorthand and Hindi Typing Examination from MP Shorthand and Typing Examination Council or any other recognition Board Certificate will be compulsary.
	2. Assistant Grade-III	18	35	1. Passed old Higher Secondary or High School Examination(10+2 Education system) from Board of Secondary Education, MP or any other recognition Board. 2. Passed Hindi Typing Examination from MP Shorthand and Typing Examination Council or any other recognition Board Certificate will be compulsary. 3. One year Diploma in Computer Application from any recognized institution.

SCHEDULE-IV
(See Rule-14)

Post to be filled by promotion

Name of Department (1.)	Name of Service or post from which promotion is to be made (2.)	Name of Service or post to which promotion is to made (3.)	Experience for promotion (4.)	Name of members of Departmental Promotion Committee (See rule-13) (5)
Sports & Youth Welfare Deptt.	**Non-Gazetted Executive.** Distt. Sports & Youth Welfare Officer	Divisional Sports & Youth Welfare Officer	5 Years	1. Dy. Director - Chairman 2. Regional Sports & Youth Welfare Officer - Member 3. Administrative Officer - Member 4. Any Officer as a representative of SC/ST/OBC - Member
	Non-Gazetted Ministerial 1. Auditor	Superintendent	5 Years	1. Dy. Director - Chairman 2. Youth Welfare Officer/ Regional Sports & Youth Welfare Officer - Member 3. Administrative Officer - Member 4. Any Officer as a representative of SC/ST/OBC - Member
	2. Assistant Grade II/Store Keeper/Accountant (Passed Accounts Training Examination)	Auditor	5 Years	1. Dy. Director - Chairman 2. Youth Welfare Officer/ Regional Sports & Youth Welfare Officer - Member 3. Administrative Officer - Member 4. Any Officer as a representative of SC/ST/OBC - Member
	3. Assistant Grade-III	Assistant Grade-II/ Storekeeper/	5 Years	1. Dy. Director - Chairman 2. Youth Welfare Officer/ Regional Sports & Youth Welfare Officer - Member 3. Administrative Officer - Member 4. Any Officer as a representative of SC/ST/OBC - Member
	Assistant Grade-III (Passed Accounts Training Examination)	Accountant		

SCHEDULE-V

Scheme for appointing limited Ministerial employees on the post of District Sports and Youth Welfare Officers.

1. The scheme may be called the scheme for recruitment through competitive examination/selection for District, Sports and Youth Welfare Officer, in Regional and Direct Office of Directorate, Sports & Youth Welfare.

2. **Eligibility.**— (a) These members of ministerial employees will be participated who have the following qualifications :—

1. having 5 years service experience in Directorate, Regional and District Offices in Ministerial Cadre.
2. having fulfilling educational qualifications of Distt. Sports and Youth Welfare Officer as laid down in coloumn 5 of Schedule -III Graduate or B.P.Ed. and participated in any game at University level.
3. his age should be not more than 45 years as on 1st January when selected. The maximum age limit will be relaxable in the case of Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

3. **Selection.**— Selection for appointment shall be made of the following basis :—

(1) Marks obtained by the candidates in the examination conducted under this scheme, and

(2) After valuation of Annual Confidential Reports of last five years of the candidate.

4. **Examination :—**

(1) Written examination will be conducted every year on the dates and places decided by the appointing authority.

(2) There will be two question paper of 50 marks each. The duration of written examination will be of 2.30 hrs. for each question paper. The candidate will be declared pass only who have secured minimum 50% marks in each paper.

(3) The question papers will be got prepared by the appointing authority, will consist the following subjects :-

First question paper.— 1.General knowledge 2.General Hindi and 3. Elementary Maths.

Second question paper.—1. General rules of Govt. service 2. Knowledge of prevailing departmental words and 3. Departmental manual, rules, sub-rules etc.

(4) The curriculam of question papers are annexed with these rules.

(5) The applications will be invited one month before the scheduled dates of examination by the Appointing Authority. The time, date and place of examination will be intimated only to those applicant who would found eligible to appear.

(6) Answer papers will be got evaluated from the nominated officers by the Appointing Authority in this regards.

(7) The list of candidates will be prepared who secured 50% or above marks separately in each paper.

5. (1) Valuation of Annual Confidential Reports (ACR) of those candidates whose name have been included in select list prepared under above pera 4(7) of the Scheme shall be done by the Departmental Promotion Committee constituted under these Rule:—

(2) 20 points for each ACR will be given to each candidate as follows :—

Excellent/Very Good	-	20
Good	-	15
Average	-	10

(3) The total number of marks secured in written examination and marks secured after valuation of ACRs of each candidate will be exhibited in a sheet and added.

(4) Final selection list will be prepared on the basis of marks secured from examination and valuation of ACRs. The promotion will be made serially from the names shown in the final list against the 20% reservation of Distt. Sports and Youth Welfare Officer.

(5) The seniority among the employees go promoted from ministerial service to the post of District Sports and Youth Welfare Officer will be the same as shown in the final selection list.

(6) Probation.—Every candidate promoted on the post of District Sports and Youth Welfare Officer from Ministerial cadre will treated as probationer for two years.

ANNEXURE - DESCRIPTION OF QUESTION PAPERS

QUESTION PAPER - I

(1) General knowledge (15 Marks)

Periodical Events, Indian History, Indian Georgraphy and its Biography, Questions regarding general information of Madhya Pradesh (Three questions).

(2) General Hindi (15 Marks)

Difference of meaning of words on the basis of given precis and essay on particular subjects (not more than 150 words)

(3) Elementary Maths (20 Marks)

Multiply, Divid, Percentage, Profit & Loss, Average, Square, Materic System, Volume and other.

QUESTION PAPER -II

(1) Knowledge of relating to Govt. Service (20 marks)

Pay, Allowances, Leave, G.P.F., General knowledge recruitment rules and elementary knowledge of conduct rules.

(2) Knowledge of prevailing meaning of words of the Departments (15 Marks)

Departmental manual, rules, sub-rules etc.

Note.—Department may be set the question papers on the basis of option system.
Its information may be given in the advertisement.
Descriptive type of questions is as above. Department may be changed as desired and as necessity of own knowledge.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VINOD PRADHAN, Dy. Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 570] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 अक्टूबर 2010—कार्तिक 6, शक 1932

खेल एवं युवक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-1-15-09-नौ.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश खेल और युवा कल्याण तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा भरती नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात :—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची एक, दो, तीन तथा चार के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां क्रमशः स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुसूची-एक

(नियम 5 देखिए)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या			वर्गीकरण	वेतनमान	टिप्पणियां
		स्थाई	अस्थाई	कुल			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	प्रशासक	–	1	1	अराजपत्रित (कार्यपालिक)	9300—34800+3600	
2	जनसम्पर्क अधिकारी	–	1	1	-तदैव-	9300—34800+3600	
3	प्रशिक्षक	–	8	8	-तदैव-	5200—20200+2800	
4	वार्डन	–	1	1	-तदैव-	5200—20200+2800	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	वाहन चालक	–	6	6	अराजपत्रित (कार्यपालिक)	5200—20200+1900	
6	अधीक्षक	–	2	2	अराजपत्रित (लिपिकवर्गीय)	9300—34800+3600	
7	शीघ्रलेखक ग्रेड-दो	–	2	2	-तदैव-	9300—34800+3600	
8	वरिष्ठ आडीटर (अंकेक्षक)	–	2	2	-तदैव-	9300—34800+3200	
9	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	1	1	2	-तदैव-	5200—20200+2800	
10	सहायक ग्रेड-एक	–	2	2	-तदैव-	5200—20200+2800	
11	आडीटर (अंकेक्षक)	8	–	8	-तदैव-	5200—20200+2800 5200—20200+2400	भविष्य में की जाने वाली पदोन्नति.
12	लेखापाल (लेखा प्रशिक्षित)	1	8	9	-तदैव-	5200—20200+2400	
13	सहायक ग्रेड-दो सह-लेखापाल	–	50	50	-तदैव-	5200—20200+2400	
14	सहायक ग्रेड-दो/स्टोरकीपर	2	22	24	-तदैव-	5200—20200+2400	
15	कम्प्यूटर आपरेटर	–	5	5	-तदैव	5200—20200+2400	
16	सहायक ग्रेड-तीन	42	83	125	-तदैव-	5200—20200+1900	

अनुसूची-दो

(नियम 6 देखिए)

भर्ती का तरीका

विभाग का नाम	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या की प्रतिशतता			अभ्युक्तियां
			सीधी भरती द्वारा	सेवा के मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	अराजपत्रित कार्यपालिक					
खेल एवं युवक कल्याण विभाग.	1. प्रशासक	1	100 प्रतिशत	—	—	—
	2. जनसम्पर्क अधिकारी	1	—	—	100 प्रतिशत	यह पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर जनसंपर्क विभाग के कर्मचारियों द्वारा भरा जाएगा.
	3. प्रशिक्षक	8	100 प्रतिशत	—	—	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	4. वार्डन	1	100 प्रतिशत	—	—	—
	5. वाहन चालक	6	100 प्रतिशत	—	—	—
			अराजपत्रित लिपिकवर्गीय			
	1. अधीक्षक	2	—	100 प्रतिशत	—	—
	2. शीघ्रलेखक ग्रेड-दो	2	—	100 प्रतिशत	—	विभाग में उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने की दशा में, विभाग के अन्तर्गत संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण, प्रतिनियुक्ति या संविलियन द्वारा.
	3. वरिष्ठ आडीटर (अंकेक्षक)	2	—	100 प्रतिशत	—	—
	4. शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	2	100 प्रतिशत	—	—	—
	5. सहायक ग्रेड-एक	2	—	100 प्रतिशत	—	—
	6. आडीटर (अंकेक्षक)	8	—	100 प्रतिशत	—	—
	7. लेखापाल (लेखा प्रशिक्षित)	9	—	100 प्रतिशत	—	—
	8. सहायक ग्रेड-दो सह-लेखापाल	50	—	100 प्रतिशत	—	—
	9. सहायक ग्रेड-दो/स्टोरकीपर	24	—	100 प्रतिशत	—	—
	10. कम्प्यूटर आपरेटर	5	100 प्रतिशत	—	—	—
	11. सहायक ग्रेड-तीन	125	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी से.	—	25 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से जो 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों तथा पुरानी हायर सेकेण्ड्री अथवा 10+2 से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हों, नियुक्त किए जाएंगे.

ग—वाहन चालकों के पद चयन द्वारा भरे जाएंगे तथा सीधी भर्ती के अन्य पद प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भरे जाएंगे.

अनुसूची-तीन

(नियम 8 देखिए)

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हता

विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	मेरिट सूची तैयार करने हेतु निर्धारित अंक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				अराजपत्रित कार्यपालिक	
खेल एवं युवक कल्याण विभाग.	1. प्रशासक	18	35	1. एम.पी.एड.	60 प्रतिशत से अधिक—30 अंक 59 प्रतिशत से 50 प्रतिशत —25 अंक 50 प्रतिशत से कम —20 अंक
				2. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश या अन्य किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेण्ड्री परीक्षा पुरानी प्रणाली से या हाईस्कूल परीक्षा (10+2 शिक्षा पद्धति से) उत्तीर्ण.	60 प्रतिशत से अधिक—20 अंक 59 प्रतिशत से 50 प्रतिशत —15 अंक 50 प्रतिशत से कम —10 अंक
				3. राष्ट्रीय खेल तथा मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय चेम्पियनशिप (सीनियर ग्रुप के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय चेम्पियनशिप) उपलब्धि अथवा सहभागिता.	प्रथम स्थान —50 अंक द्वितीय स्थान —40 अंक तृतीय स्थान —30 अंक सहभागिता —10 अंक
				4. विक्रम पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी.	—100 अंक
	2. प्रशिक्षक	18	35	1. बी.पी.एड.	60 प्रतिशत से अधिक—20 अंक 59 प्रतिशत से 50 प्रतिशत —15 अंक 50 प्रतिशत से कम —10 अंक
				2. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश या अन्य किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से हायर सेकेण्ड्री परीक्षा पुरानी प्रणाली से या हाईस्कूल परीक्षा (10+2 शिक्षा पद्धति से) उत्तीर्ण.	60 प्रतिशत से अधिक—20 अंक 59 प्रतिशत से 50 प्रतिशत —15 अंक 50 प्रतिशत से कम —10 अंक
				3. एन.आई.एस. डिप्लोमा/शारीरिक शिक्षा में एमफिल/पीएचडी./एल.एन.आई.पी.ई. कोचिंग में जी.पी. डिप्लोमा.	—100 अंक
				4. विक्रम पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी.	—100 अंक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	3. वार्डन	18	35	1. बी.पी.एड.	60 प्रतिशत से अधिक—20 अंक 59 प्रतिशत से 50 प्रतिशत —15 अंक 50 प्रतिशत से कम —10 अंक
				2. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश या अन्य किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेण्ड्री परीक्षा पुरानी प्रणाली से या हाईस्कूल परीक्षा (10+2 शिक्षा पद्धति से) उत्तीर्ण.	60 प्रतिशत से अधिक—20 अंक 59 प्रतिशत से 50 प्रतिशत —15 अंक 50 प्रतिशत से कम —10 अंक
	4. वाहन चालक	18	35	1. मिडिल स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण.	60 प्रतिशत से अधिक—20 अंक 59 प्रतिशत से 50 प्रतिशत —15 अंक 50 प्रतिशत से कम —10 अंक
				2. भारी तथा हल्के वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति.	—30 अंक
				अराजपत्रित लिपिक वर्गीय	
	1. शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	18	35	1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश या अन्य किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेण्ड्री परीक्षा पुरानी प्रणाली से या हाईस्कूल परीक्षा (10+2 शिक्षा पद्धति से) उत्तीर्ण.	60 प्रतिशत से अधिक—20 अंक 59 प्रतिशत से 50 प्रतिशत —15 अंक 50 प्रतिशत से कम —10 अंक
				2. निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण की हो :— (1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा स्तर पर कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण. (2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा स्तर पर कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण. (3) किसी डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण. (4) किसी शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से ''मार्डन आफिस मैनेजमेन्ट'' पाठ्यक्रम उत्तीर्ण.	60 प्रतिशत से अधिक—20 अंक 59 प्रतिशत से 50 प्रतिशत —15 अंक 50 प्रतिशत से कम —10 अंक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				3. मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् या किसी अन्य मान्यताप्राप्त बोर्ड से हिन्दी आशुलिपि तथा मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा.	—50 अंक
	2. कम्प्यूटर आपरेटर.	18	35	1. स्नातक.	60 प्रतिशत से अधिक —20 अंक 59 प्रतिशत से 50 प्रतिशत —15 अंक 50 प्रतिशत से कम —10 अंक
				2. निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण की हो :— (1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा स्तर पर कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण. (2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा स्तर पर कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण. (3) किसी डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण. (4) किसी शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से "मार्डन आफिस मैनेजमेन्ट" पाठ्यक्रम उत्तीर्ण.	60 प्रतिशत से अधिक —20 अंक 59 प्रतिशत से 50 प्रतिशत —15 अंक 50 प्रतिशत से कम —10 अंक
				3. मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् या किसी अन्य मान्यताप्राप्त बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा.	—50 अंक
	3. सहायक ग्रेड-तीन	18	35	1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश या अन्य किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से हायर सेकेण्ड्री परीक्षा पुरानी प्रणाली से या हाईस्कूल परीक्षा (10+2 शिक्षा पद्धति से) उत्तीर्ण. की हो :—	60 प्रतिशत से अधिक —20 अंक 59 प्रतिशत से 50 प्रतिशत —15 अंक 50 प्रतिशत से कम —10 अंक
				2.मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् या किसी अन्य मान्यताप्राप्त बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा.	—50 अंक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				3. निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण की हो :—	60 प्रतिशत से अधिक —20 अंक 59 प्रतिशत से 50 प्रतिशत —15 अंक 50 प्रतिशत से कम —10 अंक
				(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यत ाप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा स्तर पर कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण.	
				(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा स्तर पर कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण.	
				(3) किसी डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण.	
				(4) किसी शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से "मार्डन आफिस मैनेजमेन्ट" पाठ्यक्रम उत्तीर्ण.	

अनुसूची-चार
(नियम 14 देखिए)

पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जायेगी	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जायेगी	पदोन्नति के लिए अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति सदस्यों के नाम (नियम 13 देखिए)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		अराजपत्रित लिपिक वर्गीय		
खेल एवं युवा कल्याण विभाग	1. वरिष्ठ आडीटर (अंकेक्षक).	अधीक्षक	5 वर्ष	1. संयुक्त संचालक —अध्यक्ष
	2. आडीटर (अंकेक्षक) (वेतनमान 5200—20200+2800).			2. उप संचालक —सदस्य 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि के रूप में कोई अधिकारी. —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
2.	सहायक ग्रेड-एक (लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण). आडीटर (अंकेक्षक)/ लेखापाल (लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण).	वरिष्ठ आडीटर (अंकेक्षक).	5 वर्ष	1. संयुक्त संचालक 2. उप संचालक 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि के रूप में कोई अधिकारी.	—अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य
3.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-तीन	स्टेनोग्राफर ग्रेड-दो	5 वर्ष	1. संयुक्त संचालक 2. उप संचालक 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि के रूप में कोई अधिकारी.	—अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य
4.	सहायक ग्रेड-दो सह लेखापाल, सहायक ग्रेड-दो/ स्टोर कीपर.	सहायक ग्रेड-एक	5 वर्ष	1. संयुक्त संचालक 2. उप संचालक 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि के रूप में कोई अधिकारी.	—अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य
5.	सहायक ग्रेड-तीन (लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण.	आडीटर लेखापाल	5 वर्ष	1. संयुक्त संचालक 2. उप संचालक 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि के रूप में कोई अधिकारी.	—अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य
6.	सहायक ग्रेड-तीन	सहायक ग्रेड-दो सह-लेखापाल सहायक ग्रेड-दो/ स्टोरकीपर.	5 वर्ष	1. संयुक्त संचालक 2. उप संचालक 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि के रूप में कोई अधिकारी.	—अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जी. गिल्लौरे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-1-15-2009-नौ.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जी. गिल्लौरे, उपसचिव.

Bhopal, the 28 October 2010

No. F-1-15-09-IX.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Sports and Youth Welfare Class-III (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules 2008, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules, for schedule I, II, III and IV the following Schedules shall respectively be substituted, namely :—

SCHEDULE-I
(*See* Rule 5)

Classification of Service, Pay Scale and number of Posts included in the Service

S.No.	Name of the posts included in the Service	Number of posts			Classification	Scale of posts	Remark
		Premanent	Temporary	Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Administrator	-	1	1	Non-Gazetted (Executive)	9300—34800+3600	
2	Public Relation Officer	-	1	1	-do-	9300—34800+3600	
3	Coach	-	8	8	-do-	5200—20200+2800	
4	Warden	-	1	1	-do-	5200—20200+2800	
5	Driver	-	6	6	-do-	5200—20200+1900	
6	Superintendent	-	2	2	Non-Gazetted (Ministerial)	9300—34800+3600	
7	Stenographer Grade-II	-	2	2	-do-	9300—34800+3600	
8	Senior Auditor	-	2	2	-do-	9300—34800+3200	
9	Stenographer Grade-III	1	1	2	-do-	5200—20200+2800	
10	Assistant Grade-I	-	2	2	-do-	5200—20200+2800	
11	Auditor	8	-	8	-do-	5200—20200+2800 5200—20200+2400	Promotion should be done in future.
12	Accountant (Accounts trained)	1	8	9	-do-	5200—20200+2400	
13	Assistant Grade-II cum-accountant.	-	50	50	-do-	5200—20200+2400	
14	Assistnat Grade-II /Storekeeper	2	22	24	-do-	5200—20200+2400	
15	Computer Operater	-	5	5	-do-	5200—20200+2400	
16	Assistant Grade-III	42	83	125	-do-	5200—20200+2400	

SCHEDULE-II

(See, Rule-6)

Method of Recruitment

Name of Depart-ment.	Name of the post included in the Service	Total Number of duty posts	Percentage of the number of duty posts to be filled in			Remarks
			By direct recruitment	By Promotion of substantive members of the service	By Transfer of persons from other service	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Non-Gazetted Executive					
Sports and Youth Welfare	1. Administrator	1	100%	—	—	
	2. Public Relation Officer	1	—	—	100%	The post will be filled up by the employees of Public Relation Department from deputation basis.
	3. Coach	8	100%	—	—	—
	4. Warden	1	100%	—	—	—
	5. Driver	6	100%	—	—	—
	Non-Gazetted Ministerial					
	1. Superintendent	2	—	100%	—	—
	2. Stenographer Grade-II	2	—	100%	—	In case eligible employees not available in the department, post will be filled up by employees working in the institutions under department by transfer, deputation or absorption.
	3. Senior Auditor	2	—	100%	—	—
	4. Stenographer Grade-III	2	100%	—	—	—
	5. Assistant Grade-I	2	—	100%	—	—
	6. Auditor	8	—	100%	—	—
	7. Accountant (Accounts trained).	9	—	100%	—	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	8. Assistant Grade-II cum-Accountant.	50	—	100%	—	—
	9. Assistant Grade-II/ Storekeeper.	24	—	100%	—	—
	10. Computer Operator	5	100%	—	—	—
	11. Assistant Grade-III	125	75%	25% from Class IVth.	—	25% Class IVth Employees, who completed 5 years of Service and passed old Higher Secondary or 10+2 High School Examination will be appointed.

Note.—The posts of Drivers will be filled up by selection and other posts of direct recruitment will be filled up by competitive examination.

SCHEDULE - III

(*See* rule 8)

Age and qualification of persons for direct recruitment

Name of the Department (1)	Name of Service (2)	Minimum age Limit (3)	Maximum age Limit (4)	Prescribed Educational Qualifications (5)	Prescribed Points for preparation of merit list (6)	
				Non-Gazetted Executive		
Sports and Youth Welfare	1. Administrator	18	35	1. M.P.Ed.	Above 60% 59 to 50% less than 50%	—30 Points —25 Points —20 Points
				2. Passed old Higher Secondary or high School Examination (10+2 Education system) from Board of Secondary Education, Madhya Pradesh or any other recognized Board.	Above 60% 59 to 50% less than 50%	—20 Points —15 Points —10 Points
				3. National Game and recognized National Championship (recognized National Championship for senior group) achievement or participation.	Ist Place IInd Place IIIrd Place participation	—50 Points —40 Points —30 Points —10 Points
				4. Vikram Awardees Players		—100 Points

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	2. Coach	18	35	1. B.P.Ed.	Above 60% 59 to 50% less than 50%	—20 Points —15 Points —10 Points
				2. Passed old Higher Secondary or High School Examination (10+2 Education system) form Board of Secondary Education, Madhya Pradesh or any other recognized Board.	Above 60% 59 to 50% less than 50%	—20 Points —15 Points —10 points
				3. N.I.S. Diploma/M.Phil in Physical Education/PH.D./ L.N.I.P.E.-P.G. Diploma in coaching.		—100 Points
				4. Vikram Awardees Players		—100 Points
	3. Warden	18	35	1. B.P.Ed.	Above 60% 59 to 50% less than 50%	—20 Points —15 Points —10 Points
				2. Passed old Higher Secondary or High School Examination (10+2 Education system) form Board of Secondary Education, Madhya Pradesh or any other recognized Board.	Above 60% 59 to 50% less than 50%	—20 Points —15 Points —10 Points
	4. Driver	18	35	Passed Middle Examination	Above 60% 59 to 50% less than 50%	—20 Points —15 Points —10 Points
				Driving license for heavy and Light Vehicle.		—30 Points
				Non-Gazetted Ministerial		
	1. Stenographer Grade-III	18	35	1. Passed old Higher Secondary or High School Examination (10+2 Education system) form Board of Secondary Education, Madhya Pradesh or any other recognized Board.	Above 60% 59 to 50% less than 50%	—20 Points —15 Points —10 Points
				2. Passed Computer Examination from any one of the following recognized institution :—	Above 60% 59 to 50% less than 50%	—20 Points —15 Points —10 Points
				(1)Passed diploma level computer examination from any University recognized by U.G.C.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
				(2) Passed diploma level computer examination form any Open University recognized by U.G.C.		
				(3) Passed diploma level examination from any D.O.E.A.C.C.		
				(4) Passed Modern Office management Course from any Government Polytechnic College.		
				3. Passed Hindi Shorthand and Typing Examination from Madhya Pradesh Shorthand and Typing Examination Council or any other recognized Board Certificate will be compulsory.		—50 Points
	2. Computer Operator	18	35	1. Graduate	Above 60% 59 to 50% less than 50%	—20 Points —15 Points —10 Points
				2 Passed Computer Examination from any one of the following recognized institution :—	Above 60% 59 to 50% less than 50%	—20 Points —15 Points —10 Points
				(1) Passed diploma level computer examination form any University recognized by U.G.C.		
				(2) Passed diploma level computer examination form any Open University recognized by U.G.C.		
				(3) Passed diploma level examination from any D.O.E.A.C.C.		
				(4) Passed Modern Office Management Course from any Government Polytechnic College.		
				3. Passed Hindi Typing Examination from Madhya Pradesh Shorthand and Typing Examination Council or any other recognized Board Certificate will be compulsory.		—50 Points

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	3. Assistant Grade-III	18	35	1. Passed old Higher Secondary or High School Examination (10+2 Education system) form Board of Secondary Education, Madhya Pradesh or any other recognized Board.	Above 60% 59 to 50% less than 50%	—20 Points —15 Points —10 Points
				2. Passed Hindi Typing Examination from Madhya Pradesh Shorthand and Typing Examination Council or any other recognized Board Certificate will be compulsory.		—50 Points
				3. Passed Computer Examination from any one of the following recognized institution :—	Above 60% 59 to 50% less than 50%	—20 Points —15 Points —10 Points
				(1) Passed diploma level computer examination from any University recognized by U.G.C.		
				(2) Passed diploma level computer examination from any Open University recognized by U.G.C.		
				(3) Passed diploma level examination from any D.O.E.A.C.C.		
				(4) Passed Modern Office Management Course from any Government Polytechnic College.		

SCHEDULE - IV

(*See* Rule 14)

Post to be filled by Promotion

Name of Department	Name of Service or post from which promotion is to be made	Name of service or post to which promotion is to made	Experience for promotion	Name of members of Departmental Promotion Committee (See Rule-13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Non-Gazetted Ministerial		
Sports & Youth Welfare Deprtt.	1. Senior Auditor 2. Auditor (Pay Scale 5200-20200+2800).	Superintendent	5 Years	1. Joint Director — Chairman 2. Deputy Director — Member 3. Any Officer as a representative of SC/ST. — Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2. Assisstant Grarde-I (Passed Accounts Training Examination) Auditor/Accountant (Passed Accounts Training Examination).	Senior Auditor	5 Years	1. Joint Director — Chairman 2. Deputy Director — Member 3. Any Officer as a representative of SC/ST. — Member
	3. Stenographer Grade-III	Stenographer Grade-II	5 Years	1. Joint Director — Chairman 2. Deputy Director — Member 3. Any Officer as a representative of SC/ST. — Member
	4. Assistant Grade-II cum Accountant Assistant Grade-II/ Storekeeper.	Assistant Grade-I	5 Years	1. Joint Director — Chairman 2. Deputy Director — Member 3. Any Officer as a representative of SC/ST. — Member
	5. Assistant Grade-III (Passed Accounts Training Examination).	Auditor/ Accountant.	5 Years	1. Joint Director — Chairman 2. Deputy Director — Member 3. Any Officer as a representative of SC/ST. — Member
	6. Assistant Grade-III	Assistant Grade-II cum-Accountant/ Assistant Grade-II cum-Storekeeper.	5 Years	1. Joint Director — Chairman 2. Deputy Director — Member 3. Any Officer as a representative of SC/ST. — Member

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

P. G. GILLORE, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.